

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/01/2022/एफ0 सी0/1415

दिनांक: 12/01/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में चेलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/38787/2019)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1489/FP/UK/ROAD/38787/2019 दिनांक 15-12-2021

महोदय,


उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. प्रस्तावित मार्ग के के०एम०एल० फाईल के अवालोकन उपरान्त प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में बहुत से पूर्व निर्मित मार्ग उपलब्ध है जिनके बारे में सही जानकारी की अस्पष्टता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मार्ग पैदल मार्ग है अथवा पक्के मार्ग या इन्हीं मार्गों का उपयोग सम्बन्धित गांवों को जोड़ने में क्यों नहीं किया जा सकता? इसके अतिरिक्त 'नया संग्रोली' एवं 'रौशीला' गांव पूर्व से मार्ग पर जुड़े हैं। 'नया संग्रोली' गांव प्रस्तावित मार्ग से काफी दूरी पर भी है। साथ ही 'Tyunare' एवं 'Tikkar' ग्राम भी मार्ग से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।
अतः आपसे अनुरोध है कि सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले गांवों की सही स्थिति से अवगत करायें तथा लाभान्वित होने वाले गांवों की मुख्य/पक्के मार्ग से दूरी को इंगित करते हुये एक विस्तृत स्पष्टीकरण जो कि IRC के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित समरेखण को justify करता- हो, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. पातन होने वाले वृक्षों की गणना सम्भवतः 9 मी० पर की गयी है। अतः उक्त गणना को 7 मी० चौड़ाई पर गणना कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. राज्य सरकार सी.ए. हेतु प्रस्तुत के0एम0एल0 तथा डिजिटल मानचित्र में shape .की विभिन्नता को दूर करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,



उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

को

उत्तराखण्ड वन विभाग,
देहरादून

(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

पताड संक्र 112-1/डि 25/1/2022

प्रतिलिपि - अधीनस्थ अधिकारी को प्रेषित एवं जो कि वि. क्रमांक
हस्ताक्षर सहित प्रतिलिपि का निपटारा कर प्रतिलिपि
को प्रेषित / अधीनस्थ तथा अधीनस्थ अधिकारी के पास
मात्र ही कार्य को ~~अपनाया~~ अपनाया जाते वा मा
हैं

